राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्म गाधी नरेगा)

कमाकः एफ 1(16)ग्रावि/नरेगा/जिला स्तरीय समीक्षा बैठक/2016–17 जयपुर, दिनांक :26.06.2018

28 JUN 2018

कार्यवाही विवरण वीसी दिनांक 19.06.2018

माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं माननीय मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 19.06.2018 को जिला कार्यकम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर के साथ आयोजित वीसी_के माध्यम से समीक्षा की गई जिसमें में महात्मा गांधी नरेगा योजना कियान्वयन से संबंधित प्रस्तुतीकरण के निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गयाः–

क.सं.	विषय
1	**प्रपत्र–6 की रसीद :–** प्रायः देखा गया है कि श्रमिकों को मांग अनुसार कार्य नहीं उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसका एक कारण प्रपत्र–6 की दिनांकित रसीद नहीं देना है। इस संबंध में निरीक्षण, बैठक आदि के माध्यम से गहन समीक्षा करते हुए प्रपत्र –6 की दिनांकित रसीद आवश्यक रूप से दिया जाना सुनिश्चित करावें।
2	**श्रमिक नियोजन :–** गत वर्ष नियोजित श्रमिक की तुलना में इस वर्ष समस्त जिलों में श्रमिकों का नियोजन अत्यधिक कम है। यदि कर्मचारियों के आदोलनरत होने के कारण श्रमिक नियोजन की संख्या घटी हो तो व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हुए समस्त ग्राम पंचायतों में कार्य की मांग के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्य करवाये जावे। जिससे जरूरतमंद ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध हो सके।
3	**गुड–गवर्नेन्स :–** गुड–गवर्नेन्स संबंधित गतिविधियों यथा नवीन जॉब कार्ड/जॉब कार्ड अपडेशन, 7 रजिस्टर, वर्क फाईल एवं विशेष रूप से सिटीजन इन्फॉरमेशन बोर्ड की उपलब्धता समस्त ग्राम पंचायतों में सुनिश्चित की जावे।
4	**अपूर्ण कार्य :–** वर्ष 2016–17 तक के अपूर्ण कार्यो को पूर्ण कराने हेतु बार–बार निर्देशित किया गया परंतु आदिनांक तक 4.04 लाख कार्य अपूर्ण है। इस संबंध में समीक्षा करते हुए रणनीति तैयार की जाकर समस्त कार्यो को पूर्ण कराया जावे।
5	**जियो एमजीनरेगा :–** फेस–I के अन्तर्गत वित्तीय दिनांक 01.11.2017 तक पूर्ण हुये समस्त कार्यो को दिनांक 31.03.2018 जियो टैंग किया जाना था परंतु आदिनांक तक 1.46 लाख

Scanned by CamScanner

	कार्य जियो टैग हेतु शेष है। फेस–II अन्तर्गत तीनों स्तर (Before, during and after completion) के समस्त कार्यो की जियो टैगिंग पूर्ण कर ली जावे। कार्यो के जियो टैग नहीं होने की स्थिति में अग्रिम कियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
6	**DBT** :- श्रमिकों की आधार सीडिंग कर एबीपीएस (ABPS) कन्वर्जन की कार्यवाही पूर्ण की जावे।
7	**विलम्बित भुगतान** :– कर्मचारियों के आदोलनरत होने के कारण 15 दिवस से अधिक दिवसों से लम्बित मस्टररोलों की संख्या में वढ गई है। इस संवंध में विशेष ध्यान देते हुए समस्त मस्टररोलों का शत–प्रतिशत समयवद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
8	**सीपीग्राम शिकायत** :– जिलों द्वारा नियमित रूप से सीपीग्राम पोर्टल एवं राजस्थान सर्म्पक पोर्टल पर लम्बित शिकायतों को चैक कर उनका निस्तारण सुनिश्चित करवाया जावे।
9	**एमजेएसऐ** :– मुख्यमंत्री जल स्वालम्बलन अभियान अन्तर्गत योजना के कार्यो को दिनांक 30.06.2018 तक करवाया जाना था परंतु उक्त कार्यो की प्रगति वहुत कम है। इस संवंध में गहन समीक्षा करते हुए 15 जुलाई, 2018 तक समस्त कार्यो को पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

परि0 निदे0 एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2 निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
3 परियोजना निदेशक, (मो. एवं मू.); ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ।
4 परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस/अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय)/वित्तीय सलाहकार, ईजीएस/अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता (ए), ईजीएस/परियोजना अधिकारी, ईजीएस/सहायक अभियन्ता (एन/एस), ईजीएस।
5 अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजस्थान।
6 अधिशाषी अभियंता महात्मा गाधी नरेगा, समस्त राजस्थान।
7 संबंधित एमआईएस मैनेजर को nrega.raj.nic.in पर अपलोड कराने हेतु।
8 रक्षित पत्रावली।

अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस

Scanned by CamScanner